भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *191
जिसका उत्तर गुरुवार, 08 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

प्रौद्योगिकी से संबंधित विवादों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना

***191 श्री एस. निरंजन रेड्डी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की आवश्यकता का आकलन कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों को उभरती हुई और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों संबंधी विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया है ताकि वे प्रौद्योगिकी से संबंधित विवादों को बेहतर तरीके से सुलझाने में समर्थ हो सकें ; और

(ग) क्या सरकार डिजिटल बाजारों से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए एनसीएलएटी में एक विशेष पीठ बनाने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

'प्रौद्योगिकी से संबंधित विवादों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना' के संबंध में पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *191, जिसका उत्तर तारीख 08 अगस्त, 2024 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) : भारत में विशेष न्यायालय, विनिर्दिष्ट प्रकार के मामलों के लिए विधिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए स्थापित किए गए न्यायिक निकाय हैं, जिनमें अक्सर जटिल मुद्दे सम्मिलित होते हैं । ये न्यायालय विभिन्न विधियों/कानूनों के अधीन स्थापित किए जाते हैं और नियमित न्यायिक प्रणाली के साथ-साथ काम करते

हैं । उनका प्राथमिक उद्देश्य, उन मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है जिनके लिए उनकी प्रकृति के कारण विशेष ज्ञान या हैंडलिंग की आवश्यकता होती है। अपनी आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विशेष न्यायालयों की स्थापना और संचालन का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है । वर्तमान में, महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए कोई विशेष न्यायालय नहीं हैं ।

प्रौद्योगिकी विकास करार के अधीन और उससे उद्भूत होने वाले विवाद, संविदात्मक विवादों के क्षेत्र में आते हैं और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 के अंतर्गत समाविष्ट होते हैं । वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों और उनसे संसक्त तथा उनके आनुषंगिक मामलों का न्यायनिर्णयन करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालयों, उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग के गठन का उपबंध करता है । उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अक्टूबर, 2023 तक देश भर में 115 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय और 1231 अभिहित वाणिज्यिक न्यायालय हैं ।

इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम 2017 (2017 का 7) के निबंधनों में, दूर-संचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन अपील अधिकरण के रूप में कार्य करने और साइबर अपील अधिकरण के समक्ष आने वाले मामलों के लिए शक्तियां निहित की गई थीं ।

(ख) : शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए) ने न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए उभरती हुई तकनीकी प्रगति से संबंधित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थें। इन्हें या तो विशेष विषयों के रूप में या व्यक्तिगत सत्रीय विषयों में विभिन्न कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था । उभरती हुई तकनीकी प्रगति पर एनजेए द्वारा किए गए प्रशिक्षणों के अतिरिक्त, 25 राज्य न्यायिक अकादमियाँ (एसजेए) भी उभरती हुई तकनीक पर नियमित कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। इससे पूरे भारत में न्यायाधीशों को विशेष क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुनिश्चित होता है। प्रशिक्षण मॉड्यूल में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), साइबर अपराध, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित विधि आदि पर समर्पित प्रशिक्षण कार्यक्रम और सत्र सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक विधियों, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) आदि से उत्पन्न होने वाले तकनीकी-संबंधी विवादों पर सत्र भी चर्चा का हिस्सा बने थें। इसके अतिरिक्त, उन्नत तकनीकी-विधिक डोमेन में न्यायाधीशों की क्षमता निर्माण को समर्थ बनाने के लिए चिकित्सा फोरेंसिक, डिजिटल फोरेंसिक और न्यायालय और मामला प्रबंधन जैसे अन्य मौलिक क्षेत्रों पर नियमित सत्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। उक्त सत्र/कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर के न्यायाधीशों (सभी उच्च न्यायालयों और जिला न्यायपालिकाओं के ज्येष्ठ सदस्यों सहित) के भाग लेने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। विदेशों (जैसे, बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव) के न्यायाधीशों को भी एनजेए में उभरती हुई तकनीकी प्रगति पर प्रशिक्षित किया गया। विस्तृत कार्यक्रम **उपाबंध** पर दिया गया है।

(ग) : कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, डिजिटल बाजारों से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयण के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के भीतर एक विशेष न्यायपीठ बनाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

****

'प्रौद्योगिकी से संबंधित विवादों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना' के संबंध में पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *191, जिसका उत्तर तारीख 08 अगस्त, 2024 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

उपाबंध

क्र.सं.	कार्यक्रम	सम्मेलनों की संख्या	प्रतिभागी	संक्षिप्त विवरण	घटना प्रकार
1.	क्षेत्रीय सम्मेलन	08	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश + जिला न्यायपालिका	आईसीटी और सक्षम प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए पूरा दिन समर्पित किया गया। न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं सहित डोमेन विशेषज्ञों ने उभरती प्रौद्योगिकियों पर विचार-विमर्श किया	राष्ट्रीय
2.	आईसीटी	07	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश + जिला न्यायपालिका	ई-समिति द्वारा प्रस्तावित विशेष कार्यक्रम भी सम्मिलित थें	राष्ट्रीय – (06) अंतरराष्ट्रीय – (01)
3.	वाणिज्यिक न्यायालय	04	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश + जिला न्यायपालिका	इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार, संविदा विधि आदि पर चर्चा सत्र सम्मिलित थें	राष्ट्रीय
4.	साइबर विधि/साइबर अपराध + इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य	06	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश + जिला न्यायपालिका	कार्यक्रमों में प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों से व्यौहार करने वाले आउटरीच कार्यक्रम और कार्यशालाएं सम्मिलित थीं	राष्ट्रीय + अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से (एफजेसी और सीईईएलआई)

****